दिनांक- 16.01.2026

-प्रेस नोट-

“ऑपरेशन सवेरा”

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

□ सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध कडी कार्यवाही □

□ थाना नकुड पुलिस व एएनटीएफ की संयुक्त टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 557 ग्राम अवैध स्मैक (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 01 करोड़ 25 लाख रूपये), एक बैग, 01 मोबाईल फोन व 1210/- रूपये नकद बरामद □

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **“ऑपरेशन सवेरा”** – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 15.01.2026 को थाना नकुड़ पुलिस व एन्टी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) टीम द्वारा संयुक्त रूप से चैकिंग के दौरान अभियुक्त **आमिर पुत्र जीशान खाँ निवासी ग्राम कादरगंज थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली** को ग्राम घाटमपुर तिराहा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे 557 ग्राम अवैध स्मैक जिसकी अन्तर्राष्ट्रिय बाजार में कीमत लगभग 01 करोड 25 लाख रूपये है, एक नीले रंग का बैग, एक मोबाईल फोन व 1210/- रूपये की नकदी बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 27/2026 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आमिर पुत्र जीशान खाँ निवासी ग्राम कादरगंज थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली।

बरामदगी का विवरण -

- 557 ग्राम अवैध स्मैक
- 01 बैग
- 01 मोबाइल फोन
- 1210/- रूपये नकद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री रवि कुमार ए.एन.टी.एफ. सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री नवीन कुमार ए.एन.टी.एफ. सहारनपुर।

4. है0का0 अश्वनी कुमार ए.एन.टी.एफ. सहारनपुर।
5. का0 शिवम चौधरी ए.एन.टी.एफ. सहारनपुर।
6. उ0नि0 श्री नीरज कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
7. है0का0 258 अजीत सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
8. का0 1259 विनीत तोमर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
9. है0का0 892 अजय राठी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

दिनांक:16.01.2026

-प्रेस नोट-

!! सहारनपुर पुलिस की नशे के विरूद्ध कार्यवाही !!

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल अवैध देशी शराब बरामद

*अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाकर कडी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस टीम व मिशन शक्ति टीम द्वारा दिनांक 15.01.2026 को चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व गस्त के दौरान शराब की तस्करी/बिक्री करने वाले अभियुक्त **अमजद पुत्र यासीन निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जिला सहारनपुर** को ग्राम अब्दुल्लापुर अहाडी मोड से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से कुल **12 बोतल माल्टा मसालेदार देशी शराब हरियाणा मार्का** बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 20/2026 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किय गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

अभियुक्त का नाम पता:-

अमजद पुत्र यासीन निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 12 बोतल अवैध देशी शराब (हरियाणा मार्का)

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 020/26 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. मुअ0सं0 139/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 234/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 251/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम:

1. म0उ0नि0 माधुरी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 सुखवीर सिह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. म0है0का0 1145 सुनीता थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 1317 सचिन खोखर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक:16.01.2026

थाना बडगाँव पुलिस द्वारा अपने पति की हत्या में मुकदमें में वांछित 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 23.08.2025 को वादी श्री संदीप पुत्र मोहर सिंह निवासी ग्राम शिमलाना थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत वादी के भाई मृतक मन्टू व सौरभ पुत्र मुकेश का आपस मे कुछ विवाद चल रहा था। उसी विवाद के चलते दिनांक 23.08.2025 को सौरभ पुत्र मुकेश, मुकेश पुत्र प्रकाश व संजीव पुत्र प्रकाश निवासीगण ग्राम शिमलाना थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ने मिलकर मन्टू के घर आते समय जान से मारने की नियत से चाकू से हमला कर दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। जिसके सम्बन्ध में थाना बडगांव पर मु0अ0सं0 172/2025 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया। दिनांक 08.10.2025 को मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन की कार्यवाही से श्रीमती पूजा पत्नी मन्टू पुत्री बाबूराम निवासी ग्राम शिमलाना थाना बडगांव जनपद सहारनपुर हाल निवासी ग्राम साधारपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर का नाम प्रकाश में आया। साक्ष्य संकलन के आधार पर श्रीमती पूजा का नाम विवेचना में शामिल किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 61(2) बीएनएस की वृद्दि की गयी।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में वाँछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बडगाँव श्री रमेश चन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.01.2026 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्ता **पूजा पत्नी मन्टू पुत्री बाबूराम निवासी ग्राम शिमलाना थाना बडगांव जनपद सहारनपुर हाल निवासी ग्राम साधारपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को महेशपुर चौराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पता:-

पूजा पत्नी मन्टू पुत्री बाबूराम निवासी ग्राम शिमलाना थाना बडगांव जनपद सहारनपुर हाल निवासी ग्राम साधारपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का नाम पता

1- श्री रमेश चन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
2- उ0नि0 मौ0 कामिल थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
3- उनि0 श्री शौकीन खान थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
4- म0हे0कां0 1227 सविता थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
5- म0कां0 1017 अल्पना थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
6- कां0 1569 अमरदीप थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

दिनांक:16.01.2026

-प्रेस नोट-

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 द्वारा अभियुक्त को एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाते हुए 02 वर्ष का कारावास व 20 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-

अवगत कराना है, कि दिनांक 06.09.2018 को वादी उप निरी0 श्री विजय त्यागी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्त जुनैद पुत्र असगर नि0 पीरवाली गली नं0-16 निकट छप्पर वाली मस्जिद थाना मण्डी जिला सहारनपुर के कब्जे से 120 ग्राम चरस बरामद होने की सूचना पर मु0अ0स0-544/2018 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डी जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0-857/2020 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 16.01.2026 को अभियुक्त जुनैद पुत्र असगर निवासी पीर वाली गली नं0-16 निकट छप्पर वाली मस्जिद थाना मण्डी जिला सहारनपुर को थाना मण्डी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-544/2018 में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का दोषी पाते हुए अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास व 20 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्री अमित त्यागी
विवेचक- उप निरी0 श्री गुलाब तिवारी
पैरोकार म0है0का0- संगीता थाना मण्डी सहारनपुर।

दिनांक:16.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 02 सिलेन्डर बरामद

घटना का विवरणः-

दिनांक 16.01.2026 को वादी श्री मुस्तकीम पुत्र मसकूर निवासी मल्हीपुर थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर द्वारा थाना रामपुर मनिहारान पर उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से एक सिलेन्डर व वादी के पड़ौसी नानू पुत्र माजिद निवासी मल्हीपुर के घर से भी एक सिलेन्डर व सामान चोरी कर लिए जाने के सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0 18/26 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

पुलिस कार्यवाहीः-

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर तत्काल अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिनके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना रामपुर मनिहारान श्री राधेश्याम यादव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.01.2026 को पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रकाश में आये **अभियुक्त मुनव्वर पुत्र रतीफ निवासी मोहल्ला समन्ग, मल्हीपुर थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 02 सिलेन्डर बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

बरामदगी का विवरण

- 02 सिलेन्डर इन्डेन

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मुनव्वर पुत्र रतीफ उर्फ लतीफ निवासी मोहल्ला समन्ग, मल्हीपुर थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र चौधरी थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।
2. हे0का0 817 मोहित राणा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 382 कपिल राठी थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक:16.01.2026

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 15.01.2026 को श्री रूपचन्द पुत्र अमर सिहं निवासी ग्राम मौहम्मद अलीपुरा, थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर के आधार पर बाबत विपक्षीगण द्वारा वादी के पुत्र के साथ मारपीट करना जिसकी जानकारी मिलने पर वादी द्वारा लडके को तलाश करने पर वादी के लडके का शव रेलवे ट्रैक पर मिलने के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर अ0सं0- 36/2026 धारा 191(2)/103(1) बीएनएस बनाम रवि आदि 05 अन्य के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था तथा विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 103(1) का विलोपन कर धारा 107 बीएनएस की वृद्धि की गई।

*श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक अमरपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण **1.रवि पुत्र अतर सिहं उर्फ भून्डा 2. निखिल पुत्र रवि निवासीगण ग्राम मौ0अलीपुरा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को जामिया तिवतिया देवबन्द से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. *रवि पुत्र अतर सिहं उर्फ भून्डा नि0 ग्राम मौ0अलीपुरा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।*
2. *निखिल पुत्र रवि नि0 ग्राम मौ0अलीपुरा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. *उ0नि0 श्री सन्दीप कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 श्री रोबिल्स कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर।*
3. *हे.का.272 जुगेन्द्र मलिक थाना देवबन्द सहारनपुर।*
4. *हे.का.1311 अनिल कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर।*
5. *हे.का.434 रौबिन राठी थाना देवबन्द सहारनपुर।*